69

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष - एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 432-तीन/2007 - विरूद्ध - आदेश दिनांक -- 26-2-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर -- प्रकरण कमांक 28/2006-07 निगरानी

रामभिलन पुत्र रामसिंह
ग्राम दिगुवॉ तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरूद्ध

1- रन्धीर पुत्र रामसेवक
2- देवेन्द्र पुत्र भरतलाल
3- रामसेवक पुत्र रामभरोसे
4- मोहन सिंह पुत्र प्रागीलाल
सभी निवासी ग्राम दिगुवॉ
तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
5- मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0एल0धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 28/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 14 अ-19/1995-96 में पारित आदेश दिनॉक 12-8-1996 से आवेदक के हित में ग्राम दिगुवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 664 रकबा 0.275 हैक्टर व्यवस्थापित की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 से 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष अपील कमांक 11/2005-06 दिनॉक 17-10-2005 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनॉक 21-6-2006 पारित किया तथा नायव तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा के व्यवस्थापन आदेश दिनॉक 12-8-1996 को निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, दतिया के समक्ष निगरानी कमांक 64/2005-06 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 24-11-2006 से निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-6-2006 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 28/2006-07 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनॉक 24-11-2006 निरस्त किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21-6-2006 स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 26-2-2007 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा द्वारा प्र0क0 14 अ-19/ 95-96 में पारित

आदेश दिनॉक 12-8-1996 से आवेदक के हित में ग्राम दिगुवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 664 रकबा 0.275 हैक्टर व्यवस्थापित की है जिसके विरुद्ध अनावेदक कमांक 1 से 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष अपील दिनॉक 17-10-2005 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के अपील प्रकरण कमांक 11/2005-06 में अंकित आदेश पत्रिका दिनांक 17-10-2005 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने धारा-5 अवधि विधान की अनुमति आवेदन पर सुनवाई करना लिखकर प्रकरण दर्ज कराया है तथा अन्य आदेश पत्रिका दिनांक 20-1-2006 के अनुसार धारा 5 के आवेदन एंव पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रकरण आगे नियत किया है किन्तु अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर प्रथमतः सुनवाई न करते हुये अंतिम आदेश दिनांक 21-6-06 में ही अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करते हुये आवेदक के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करने की त्रृटि की है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 44 सहपठित धारा 47 - म्याद अधिनियम की धारा-5 सहित अपील विलम्ब से प्रस्तुत। सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर निर्णय लिया जावेगा - तदुपरांत ही मामले में गुणागुण पर विचार होगा।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त के विपरीत जाकर अंतिम आदेश में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर निर्णय लेने में भूल की है जिसके कारण अपर कलेक्टर दतिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण निर्णय को आदेश दिनांक 24-11-06 से ठीक ही निरस्त किया है किन्तु अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 26-2-2007 पारित करते समय उक्त की अनदेखी करके अपर कलेक्टर दतिया के आदेश दिनांक 24-11-06 को निरस्त करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 28/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि नायब तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 14 अ-19/1995-96 में पारित आदेश दिनॉक 12-8-1996 से आवेदक के हित में ग्राम दिगुवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 664 रकबा 0.275 हैक्टर के किये गये व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 से 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष दिनॉक 17-10-2005 को अपील प्रस्तुत की है अर्थात अपील 9 वर्ष से अधिक समय वाद प्रस्तुत हुई है जबकि आवेदक एंव अनावदेकगण एक ही ग्राम के बासिन्दा हैं।

1. बबीता रानी बनाम भगवती वाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म0प्र0) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फायल करने की अवधि का अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
2. स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्ध सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी0नो0 193 का न्याय दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को निनष्ट नहीं किया जा सकता।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा द्वारा अपील प्रकरण कमांक 11/ 2005-06 में पारित आदेश 21-6-2006 में तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 28/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 में उक्त की अनदेखी करने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 28/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-2-2007 तथा अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा द्वारा अपील प्रकरण कमांक 11/ 2005-06 में पारित आदेश 21-6-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । अपर कलेक्टर, दतिया

द्वारा निगरानी कमांक 64/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2006 उचित पाये जाने एंव यथावत् रहने से नायव तहसीलदार वृत्त थरेट तहसील सेवढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 14 अ-19/1995-96 में पारित आदेश दिनॉक 12-8-1996 से आवेदक के हित में ग्राम दिगुवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 664 रकबा 0.275 हैक्टर का किया गया व्यवस्थापन भी यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर